

## Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् अनिल कुमार वनाम राजाराम आदि किरम् मुकदम् 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 63/2021

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
6-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को अप्रार्थीगण संख्या 02 की तलबी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु न्यायालय द्वारा 36 अवसर प्रदान किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 02 की तलबी/रजिस्टर्ड एडी से करवाने हेतु बार-बार न्यायालय द्वारा हिदायत दी गई। वकील वादी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02 की तलबी रजिस्टर्ड से करवाने की हिदायत देने के बावजूद आदिनांक तक तलबी नहीं करवाई गई है। रजिस्टर्ड तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन पेश नहीं किये गये है। वादी न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.10.2021 से प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस देने में विफल रहा है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 09 नियम 05 के तहत सम्मन/नोटिस देने में वादी/प्रार्थी के असफल रहने के परिणामस्वरूप इसी स्तर पर खोरिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आदिनांक ...6-12-24..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>शकुतला उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर।</p>	

